**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 1169**

**दिनांक 09 फरवरी ,2024 को उत्तर देने के लिए**

**सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी**

**1169. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियनः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (एआरटी) के माध्यम से जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े एकत्र किए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे बच्चों के लिंग का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में भावी योजनाएं क्या हैं;

(घ) राष्ट्रीय निरीक्षण और निगरानी समिति द्वारा विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान वीर्य निषेचन (आईवीएफ) केन्द्रों की संख्या का निरीक्षण किए जाने का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे निरीक्षणों के दौरान दर्ज किए गए अपराधों के प्रकार का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मन्त्री**

**(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)**

(क) से (ग): सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021, 25.01.2022 से प्रवृत्त हो गया है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) ने "सांख्यिकीय रिपोर्ट" जारी की है जो भारत और बड़े राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जन्म के समय लिंग अनुपात के संबंध में आंकड़े प्रदान करती है। हालाँकि, सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी

(एआरटी) के माध्यम से पैदा हुए बच्चों की संख्या और उनके लिंग के आंकड़े आरजीआई द्वारा एकत्र नहीं किये जाते हैं।

(घ) और (ङ): गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पीसी-पीएनडीटी अधिनियम) कानून के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर पर एक मजबूत कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र निर्धारित करता है। वर्ष 2022 के दौरान, राष्ट्रीय निरीक्षण और निगरानी समिति (एनआईएमसी) ने एक वीर्य निषेचन (आईवीएफ) केंद्र का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान दर्ज किये गये अपराध इस प्रकार हैं :

(i) स्थानीय प्राधिकारी को बिना किसी पूर्व सूचना के केंद्र द्वारा जिलों में आईवीएफ शिविर आयोजित करना।

(ii) केंद्र द्वारा रिकॉर्ड रखरखाव में अनियमितताएं।

(iii) पंजीकरण प्रमाणपत्र सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया।

*****